लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5581

06 अप्रैल, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारत में बने वस्त्रों का निर्यात

5581. श्री एम. बदरूद्दीन अजमल;

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में बने कितने वस्त्र अन्य देशों को निर्यात किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय वस्त्रों के निर्यात से कितना राजस्व अर्जित हुआ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय वस्त्र निर्माताओं को बेहतर उत्पादन हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या भारतीय वस्त्र उद्योग विकास के लिए तैयार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके वर्ष-वार क्या कारण हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) और (ख): वर्तमान वर्ष के साथ पिछले 5 वर्षों के दौरान भारतीय वस्त्र तथा अपैरल निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

वस्तुएं	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	अप्रै.-फर. 2021-22
भारतीय वस्त्र एवं अपैरल निर्यात	35,472	35,723	36,558	33,379	29,877	38,290

स्रोत : डीजीसीआईएस से प्राप्त अनंतिम डाटा

(ग): सरकार भारतीय वस्त्र निर्यातों की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा पर लक्षित निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों द्वारा वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है:

i) मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) दिनांक 01.04.2015 से 31.12.2020 तक किए गए निर्यातों (वस्त्र उत्पादों सहित) के लिए लागू थी, जिसका उद्देश्य भारत में उत्पादित/निर्मित वस्तुओं/उत्पादों के निर्यात में शामिल संबद्ध लागतों तथा अवसंरचनात्मक खामियों को दूर करना है।

ii) वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने गारमेंट और मेडअप्स क्षेत्र हेतु एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज ने राज्य लेवियों पर छूट (आरओएसएल), श्रम कानून सुधार, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन तथा आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए के तहत रियायत प्रदान की है।

iii) दिनांक 07 मार्च 2019 से आरओएसएल योजना का स्थान राज्य तथा केंद्रीय करों तथा लेवियों की छूट (आरओएससीटीएल) योजना द्वारा ले लिया गया था। वस्त्र उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने और जीरो रेटिड निर्यात के सिद्धांत को अपनाने के लिए, सरकार ने अपैरल/गारमेंट्स (अध्याय-61 तथा 62) तथा मेड-अप्स (अध्याय-63) के निर्यात पर आरओएससीटीएल को दिनांक 31 मार्च, 2024 तक जारी रखने को आगे बढ़ा दिया है। अन्य वस्त्र उत्पाद (अध्याय 61, 62 और 63 को छोड़कर) जो आरओएससीटीएल के तहत शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और कर छूट (आरओडीटीईपी) के तहत अन्य उत्पादों के साथ शामिल किया गया है।

iv) सरकार ने वस्त्र क्षेत्र सहित एमएसएमई द्वारा किए गए निर्यातों के लिए शिपमेंट पूर्व और पश्च ऋण के लिए ब्याज समानीकरण दर को दिनांक 02.11.2018 से 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया है। ब्याज समानीकरण योजना के लाभ दिनांक 02.01.2019 से मर्चेंट निर्यातकों को भी प्रदान किए गए हैं, जो पहले केवल निर्माता निर्यातकों तक सीमित थे।

v) सरकार ने देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स तथा तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वस्त्र हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना अनुमोदित की है। चयनित कंपनियां न्यूनतम निवेश और न्यूनतम/वृद्धिशील कारोबार प्राप्त करने पर प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होंगी। इस योजना के दो भाग हैं: भाग-1 और भाग-2। भाग-1 के अंतर्गत, वर्ष-1 में अपेक्षित कारोबार प्राप्त करने पर 15% प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। योजना के भाग-2 के अंतर्गत, वर्ष-1 में अपेक्षित कारोबार प्राप्त करने पर 11% प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना के दोनों भागों के अंतर्गत, प्रोत्साहन वर्ष-2 से लेकर वर्ष-5 तक प्रत्येक वर्ष 1% तक कम किया जाएगा।

vi) इसके अलावा, सरकार ने प्लग एंड प्ले सुविधा सहित विश्वस्तरीय अवसंरचना का विकास करने के लिए ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड क्षेत्रों में 7 (सात) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क की स्थापना करने का अनुमोदन दिया है। पीएम-मित्र पार्क में जल्दी स्थापित होने के लिए विनिर्माण इकाईयों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। यह केवल उन विनिर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो वस्त्र पीएलआई योजना का लाभ नहीं उठा रही हैं।

(घ): अप्रैल 2021 – फरवरी 2022 तक वस्त्र और अपैरल के निर्यात ने पिछले वर्ष इसी अवधि हेतु लगभग 46% की वृद्धि दर्शायी है। वस्त्र और अपैरल के निर्यात ने अपनी गति बनाए रखी है और अब यह समय-समय पर सरकार द्वारा की गई उपरोक्त पहलों के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकारात्मक प्रगति दर्शा रहा है।

*****